

विचार बिन्दु

हमारी आनंदपूर्ण बदकारियाँ ही हमारी उपीड़क चाबुक बन जाती हैं। –शेक्सपियर

क्या इस संसद सत्र में प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे?

संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई 2025 से प्रारंभ हो चुका है। इस सत्र के हंगामेदार रहने की संभावना है। इतने महत्वपूर्ण संसद सत्र के प्रारंभ होते ही प्रधानमंत्री इंग्लैंड और मालदीव की विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। इससे यह संकेत तो मिलता ही है कि प्रधानमंत्री संसद में रहने को अधिक महत्त्व नहीं देते हैं।

इस सत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और आर्थिक स्थिति से संबंधित कई ऐसे गंभीर प्रश्न उठने की संभावना है जिस पर सरकार, विशेषकर प्रधानमंत्री को संसद के माध्यम से देश के समक्ष स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। सामान्यतया, जब सरकार महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर सार्वजनिक रूप से न दे और प्रधानमंत्री केवल अपनी ही बात करें और जनता एवं राजनीतिक दलों द्वारा उठाए जा रहे प्रश्नों के संबंध में मौन साध लें, तो फिर उनके पास उत्तर प्राप्त करने का केवल एक ही विकल्प बचता है, कि वे संसद के अंदर, संसदीय प्रक्रियाओं के अनुसार सरकार से उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करें। हम इस आलेख में ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण अनुत्तरित प्रश्नों का उल्लेख करेंगे।

पहला प्रश्न पहलगाम की आतंकवादी घटना के संबंध में है। यह घटना 22 अप्रैल को घटी किंतु अभी तक इससे संबंधित अनेक पहलुओं का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। जब पहलगाम की बाईं -शरण घाटी में सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी तो वहां पर क्यों पर्यटकों को इतनी बड़ी संख्या में जाने दिया गया? इसके कारण 26 निर्दोष पर्यटक, आतंकवादियों की गोलियों के शिकार हो गए। प्रश्न यह भी है कि अभी तक चार आतंकवादियों में से एक को भी पकड़ा क्यों नहीं गया? देश यह जानना चाहता है कि क्या ये देश में ही कहीं छुपे हैं, पाकिस्तान चले गए हैं या फिर किसी मुठभेड़ में मारे गए हैं? जो भी स्थिति हो, सरकार को संसद के माध्यम से देश को बताना चाहिए।

दूसरा प्रश्न ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से देश को मिली सफलता एवं उसके परिणाम से संबंधित है। भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि भारत का कोई नुकसान इस संघर्ष में नहीं हुआ, जब कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने हाल ही में एक बयान दिया है कि इस संघर्ष में पांच जेट विमान गिराए गए। सरकार को यह साफ बताना चाहिए कि ये किसे थे? अब तक इस बारे में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। भारतीय सेना के प्रमुख अनिल चौहान और इंडोनेशिया में भारत के दूतावास में पदस्थापित रक्षा अटैची कैप्टन शिव कुमार ने यह माना कि भारत ने अपने जेट खोए हैं। यह सच बताने में सरकार को क्या परेशानी है कि भारत ने कोई जेट विमान खोए या नहीं और खोए तो कितने? जब संघर्ष होता है, तो दोनों पक्षों को जन धन की क्षति होना स्वाभाविक है। देश को यह जानने का हक तो है ही कि हमारे देश का कितना नुकसान हुआ है? अंततः, सारा पैसा तो देश की जनता से ही वसूल किया जाता है? इस बारे में इतनी अपारदर्शिता क्यों? संसद में सरकार या तो डॉनोल्ड ट्रंप के बयान का खंडन करे या पुष्टि करे।

तीसरा प्रश्न, ऑपरेशन सिंदूर के चलते,अचानक हुए युद्ध विराम के संबंध में है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बाएं-बाएं युद्ध विराम का श्रेय स्वयं ले रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान को युद्ध विराम करने हेतु तैयार किया। इसके लिए उन्होंने आर्थिक प्रतिबंधों की धमकी का भी जिज्ञा किया। डॉनाल्ड ट्रंप ने अपने बयानों में भारत और पाकिस्तान को तराजू के पलड़ों में एक समान रखा। यह भारत के लिए अटपटी सी स्थिति थी क्योंकि भारत ने अब तक कभी भी किसी तीसरे देश की भूमिका, भारत-पाक संबंधों में स्वीकार नहीं की थी।

क्या संसद में प्रधानमंत्री इस बात को जोर देकर कहेंगे कि राष्ट्रपति ट्रंप का कथन गलत है और उनकी कोई भूमिका इस युद्ध विराम में नहीं थी? इससे देश आश्चर्य होगा कि भारत ने पाकिस्तान से संबंधित अपनी सन नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया है कि वह किसी तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेगा।

चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न, बिहार में चल रहे मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुररीक्षण के संबंध में है। चुनाव आयोग द्वारा इस कार्यवाई के अंतर्गत बिहार के सभी आठ करोड़ मतदाताओं से गणना प्रपत्र भरवया जा रहा है। इसमें से दो तीन करोड़ मतदाताओं को अपना स्वयं का और माता / पिता का जन्म प्रमाण पत्र भी गणना प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा। यह एक तथ्य है कि बिहार के लाखों लोग राज्य के बाहर अन्य राज्यों में कार्य हेतु जाते हैं। गहन पुररीक्षण का निर्णय लेते समय चुनाव आयोग ने यह बिल्कुल नहीं सोचा कि कैसे भारी बरसात के बीच ये लोग अपना काम छोड़कर यह प्रपत्र भरने के लिए बिहार जाएंगे और कैसे ये लोग अपने माता या पिता का जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त कर पाएंगे? ऐसा लगता है कि इस पुररीक्षण की प्रक्रिया के बाद लगभग डेढ़-दो करोड़ लोग ऐसे होंगे जिनके प्रपत्र दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत नहीं हो पाएंगे और इस कारण उनके नाम मतदाता सूचियों से काट दिए जाएंगे। तदनुसार ये लोग नवंबर में होने वाले बिहार के विधानसभा चुनाव में मत नहीं दे पाएंगे। सोशल मीडिया के कुछ लोगों जैसे अजीत अंजुम द्वारा बिहार में फ़ोल्ड पर किए जा रहे सर्वे के आधार पर यह रिपोर्ट सामने आई है कि बी एल ओ, अपने ही स्तर पर मतदाताओं की ओर से फॉर्म भरकर और हस्ताक्षर करके जमा कर रहे हैं और मतदाताओं को इसकी कोई जानकारी नहीं है। यह बात भी सामने आई है कि मतदाताओं को गणना प्रपत्र की एक प्रति नहीं दी जा रही है जैसे कि चुनाव आयोग के निर्देश हैं। इस प्रकार की दोषपूर्ण प्रक्रिया से मतदाताओं को अपने अधिकार से वंचित करने की कार्यवाही के संबंध में सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। यह सब क्यों किया जा रहा है जबकि बिहार में चुनाव नवंबर में है? चुनाव आयोग यह सब मतदाताओं की नागरिकता जाँचने के नाम पर कर रहा है जबकि कि भारत का कोई भी नागरिक अपनी नागरिकता सिद्ध नहीं कर सकता। सरकार द्वारा नागरिकता का प्रमाण देने की कोई व्यवस्था ही नहीं की गई है। चुनाव आयोग द्वारा ऐसा इस समय यह सब क्यों किया जा रहा है, इस बारे में स्थिति, सरकार को स्पष्ट करनी होगी। यदि ऐसा नहीं किया गया तो सरकार एवं चुनाव आयोग के उद्देश्य पर संदेह के बादल हमेशा घंड़रावे रहेंगे। लोगों में भी यह आशंका बनी रहेगी कि इस पूरी कार्यवाही का उद्देश्य सत्ताधारी दल के विपक्षियों के नाम मतदाता सूची से बाहर करना ही तो नहीं है? इस पर विस्तृत चर्चा और आशंका है, जिसे केवल यह कहकर यह नहीं टाला जा सकता कि यह प्रकरण माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है।

विपक्षी दलों को भी यह सुनिश्चित करना

होगा कि किसी भी कारण से संसद

स्थगित न हो और जिन भी नियमों में

संभव हो, उनके अंतर्गत वे चर्चा करें,

ताकि सरकार और प्रधानमंत्री को विभिन्न

विषयों पर उठाए गए विषयों पर उत्तर देने

के लिए बाध्य होना पड़े। सकारात्मक

विपक्ष का काम केवल यह नहीं है कि

हंगामा करके सत्र को बंद करवा दें। ऐसा

करके वे सरकार की ही सहायता करेंगे।

गया तो सरकार एवं चुनाव आयोग के उद्देश्य पर संदेह के बादल हमेशा घंड़रावे रहेंगे। लोगों में भी यह आशंका बनी रहेगी कि इस पूरी कार्यवाही का उद्देश्य सत्ताधारी दल के विपक्षियों के नाम मतदाता सूची से बाहर करना ही तो नहीं है? इस पर विस्तृत चर्चा और आशंका है, जिसे केवल यह कहकर यह नहीं टाला जा सकता कि यह प्रकरण माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है।

पाँचवा महत्वपूर्ण विषय लोकसभा एवं विधानसभा क्षेत्र के पुनर्समीकरण का है। यदि जनसंख्या के आधार पर ही सीटों का सीमांकन किया जाता है तो यह संभावना है कि उत्तरी भारत की तुलना में दक्षिण भारत के राज्यों की लोकसभा सीटों की संख्या में बहुत कमी आ सकती है। इस कारण दक्षिण भारत का प्रतिनिधित्व संसद में बहुत हो जाएगा। इसी कारण दक्षिणी राज्य इसका विरोध कर रहे हैं। इस संबंध में सरकार को अपनी सोच स्पष्ट करनी चाहिए। छठवां विषय जिस पर संसद में चर्चा होनी चाहिए, वह अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट ए आई 171 के उड़ान भरते ही क्रैश होने के संबंध में है।

इस दुर्घटना में 260 व्यक्तियों की जान चली गई। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि दुर्घटना का कारण क्या रहा? कहीं यह कारण तो नहीं था कि सरकार की विभिन्न सुरक्षा नियामक एजेंसियों के कर्मचारियों /अधिकारियों की अत्यंत कमी है और जिसके कारण पर्याप्त सुरक्षा जांच, उड़ान से पूर्व संभवतया नहीं हो पाई ? अब तक प्राप्त अंतरिम रिपोर्ट से ज्ञात हुआ है कि ईंधन के स्विच 'फट ऑफ' हो जाने के कारण इंजन बंद हो गए और यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस बारे में स्पष्ट और विस्तृत जानकारी संसद सदस्यों को सरकार के द्वारा दी जानी चाहिए।

सातवां महत्वपूर्ण बिंदु जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान करने से संबंधित है। इसका आश्वासन तो सरकार 2019 में दे रही है। हाल ही में श्रीनगर में शहीद दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में भाग लेने के लिए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को अपने घर से बाहर निकलने के लिए दीवार फांदकर जाना पड़ा। केंद्रीय रिजर्व पुलिस और स्थानीय पुलिस द्वारा उन्हें रोका जा रहा था। किसी भी राज्य के चुने हुए मुख्यमंत्री को अपने ही देश में ऐसी स्थिति का सामना करना पड़े और पुलिस बलपूर्वक रोकने का प्रयास करे तो यह संसद में चर्चा का विषय तो बनेगा ही। सरकार को यह बताना कि क्यों जम्मू कश्मीर को अब तक पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जा रहा है?

प्रधानमंत्री द्वारा विभिन्न घोषणाओं की वास्तविकता के बारे में भी संसद में प्रश्न उठेंगे जिसका उत्तर प्रधानमंत्री को देना चाहिए। उदाहरण के लिए बिहार के मोतिहारी में चुनावी रैली में प्रधानमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उस जिले में 3 लाख लोगों को पक्के आवास बनाकर दे दिए गए, जबकि सरकार की वेबसाइट के अनुसार ही अब तक कुल 14000 व्यक्तियों को ही मोतिहारी जिले में आवास मिले। गलत बयान देने के बारे में संसद सदस्य प्रधानमंत्री से जवाब मांग सकते हैं और प्रधानमंत्री से अपेक्षा रहेगी कि वे स्थिति स्पष्ट करें।

कावड़ यात्रा में के दौरान कॉन्फ़ीडिग्य द्वारा सीआरपीएफ के जवान को पीटने की घटना भी चर्चा का विषय बन सकती है। इस बारे में विभिन्न प्रकार की घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में सरकार द्वारा स्थिति स्पष्ट किए जाने की अपेक्षा सांसदों और देश को रहेगी।

इस वक्त हाल ही में बरसात के कारण देश के कई उच्च राज मार्ग, राष्ट्रीय उच्च मार्ग एवं कई पुल दुर्घटनाग्रस्त होकर गिर गए जिसके कारण कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। जिस गति से बिहार और गुजरात में पुल टूटे हैं वह न केवल जनता के धन की बर्बादी को दर्शाता है अपितु भ्रष्टाचार की ओर इशारा भी करता है। बिहार के सांसद इस बारे में चर्चा की आशा रखेंगे।

गत कुछ सत्रों का अनुभव यह रहा है कि सरकार किसी भी विवादस्पद विषय पर चर्चा करने से बचती रही है और प्रधानमंत्री स्वयं भी ऐसे समय सदन में उपस्थित नहीं रहते हैं। कई बार तो सत्ताधारी दल के सांसद ही हंगामा करने लग जाते हैं जिसके कारण सरकार अपने जवाब देने के उत्तरदायित्व से बच निकलती है। विपक्षी दलों को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी कारण से संसद स्थगित न हो और जिन भी नियमों में संभव हो, उनके अंतर्गत वे चर्चा करें, ताकि सरकार और प्रधानमंत्री को विभिन्न विषयों पर उठाए गए विषयों पर उत्तर देने के लिए बाध्य होना पड़े। सकारात्मक विपक्ष का काम केवल यह नहीं है कि हंगामा करके सत्र को बंद करवा दें। ऐसा करके वे सरकार की ही सहायता करेंगे। आशा की जानी चाहिए कि इस सत्र में विभिन्न ज्वलंत मुद्दों पर गंभीर बहस होगी और विपक्ष सरकार को मजबूर करेगा कि वह एवं उसके मुखिया, प्रधानमंत्री विभिन्न प्रमुख मुद्दों पर सरकार का रुख स्पष्ट करेंगे। अच्छा होगा यदि प्रधानमंत्री स्वयं संसद के सत्र के समय महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के दौरान सदन में उपस्थित रहें।

–अतिथि सम्पादक,
राजेन्द्र भागवत
(पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)



युवराज

विकसित राजस्थान-2047 के लक्ष्य की प्राप्ति में सुनियोजित नगरीय विकास की अहम भूमिका है। इससे आर्थिक गतिविधियों की तेजी से बढ़ावा मिलता है जिससे बुनियादी ढांचे में निरंतर सुधार आने के साथ-साथ निवेश और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है।

इसी लक्ष्यों की प्राप्ति के क्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल बैठक ने नई राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी का अनुमोदन किया है, जिससे राजस्थान सुनियोजित नगरीय विकास के क्षेत्र में अठागो राज्य बन सकेगा। राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी-2024 के प्रावधान ऐसी योजनाओं के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करते हैं जिनमें रहवासियों को बेहतर जीवन स्तर मिल सके। जिसमें सुबह की सैर के लिए पार्क भी हो और वर्षा तथा अपशिष्ट जल

मतदाता सूची : 1952-नाम जोड़ो, 2025-नाम काटो, (52-25-संदर्भ - बिहार विधानसभा चुनाव)



रामनिवास बैरवा

पहले आम चुनाव मार्च-अप्रैल, 1952 में सम्पन्न हो चुके थे। उस समय की मतदाता सूची चर्चा आज 1925 में (बिहार चुनावों के संदर्भ में) भी आवश्यक है। जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 में बनाया गया था और 1951 में भी दूसरा कानून बनाया गया था। 1950 के कानून में मतदान क्षेत्रों का सीमांकन तथा मतदाता सूची आदि के संबंध में प्रावधान थे, तो 1951 के कानून में चुनाव संबंधी अन्य तामझाम का नियमन था जिसमें मतदाताओं की पात्रता-अपात्रता के अलावा चुनाव में खड़े होने वाले उम्मीदवारों की योग्यता-अयोग्यता का जिक्र था। 1951 के जन प्रतिनिधित्वकानून का भाग सात, जिसका शीर्षक था “कंप्ट एण्ड इल्लूगल प्रेक्टिसेज एण्ड इलेक्टोरल ओफेंसेज” था। 1957 के दूसरे आम चुनावों के ठीक छः महिने पहले, 28.08.1956 के संशोधन के द्वारा इसको बदलकर सिर्फ “कंप्ट प्रेक्टिसेज एण्ड इलेक्टोरल ओफेंसेज” करने के लिए “इल्लूगल प्रेक्टिसेज” को हटाकर गैर-कानूनी काम में लगे प्रत्याशी (अगस्त, 1956 के संशोधनों के आधार पर) बने थे जो कि पार्टी के नाम से चुनाव जीते थे। गांधी जी की कांग्रेस के साथ भावनात्मक लगाव के कारण उत्तर भारत के काफी ज्यादा संख्या में अशिक्षित पुरुष और महिलाएं बिना प्रत्याशी के चारित्रिक और कानूनी गुणों के मूल्यंकन के मतदान करने जातिये गये थे। परन्तु केरल के शिक्षित मतदाताओं ने कांग्रेस के बदले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नब्बूद्रीपाद को राज्य की सरकार बनाने के लिए चुना था। यह मतदाता और मतदान करने वाले व्यक्तियों का कमाल था। लेकिन, तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष इन्दिरा गांधी और प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने 1959 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार को भंग करके राष्ट्रपति शासन लगा दिया था।

आगामी चुनावों के मतदाताओं के मतदाता सूचियों में नाम जोड़ने और नाम काटने का अधिकार चुनाव आयोग को देने के लिए 1959 में “संसद

स्त्रियां अपना नाम नहीं बतायीं-सामान्यतः स्त्रियों के नाम ‘फूलाने की पत्नी’ या ‘फूलाने की पुत्री’ के नाम से दर्ज की गई थी। तब उच्च अधिकारियों के ध्यान में यह तथ्य लाये जाने पर ऐसे नामों को हटा दिया गया था, पूरे देश की मतदाता सूचियों में से कु